


2023/278

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

नं- 98 / 2023

तारीखरजू:- 13.10.23

उनवान:- फूल्या बनाम छोटे लाल वगै०  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र.सं.	फर्द अहकाम	
10/23	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के नोटिस जरिए तहसीलदार टोडाभीम तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी</p>	<p>6030-34 13.10.23</p>
20/23	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी..... प्रभाक्षली गतानुसार दिनांक... 2-2-23 को पेश हो।</p>	
21-12-23	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से काय स्थगन रख गया है। पीठासन अधिकारी..... गतानुसार दिनांक ... 3-1-24 को पेश हो।</p>	
3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित प्रार्थी वकील को कायसी नं० 1 कायसी 3 के द्वारा नोटिस पेश करने की डिमांड डी गद्दी वाले तबवी दिनांक 2-2-24 को पेश हो।</p>	
3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित कायसी नं० 1 कायसी 5 की कोर्ट से कायसी नं० कायसी 3 ने कायसी नं० कायसी 5 को कायसी पत्रावली देते। कायसी नं० 5 की कोर्ट के पेशकार सरकार उपस्थित।</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम सि

दिनांक	फर्द अहकाम	प
9/5/25	<p>पत्रावली पैसा डूही। प्राची क्व प्राची वकील          कोठी उपस्थित नही। वार 2 भाषण डिमंड गरी          इसके वाबजूड भी कोठी भी उपस्थित नही हुका          इससे प्राचीका वृद्ध प्राचीवा-का काव्यायी          मिथि चाला प्राची भी काउम पैली काउम          इमिल के स्वामिन की गाली है। पत्रावली          फेसलकमाल डेपुट नमका है कम फेसलकमाल          डेपुट है</p>	